



न्यायालय, कलेक्टर, जिला-धार (म.प्र.)

प्र. क्र. 192/अ-19(3)/2015-16

म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग,
तर्फे कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग
क्रमांक 01 धार

....आवेदक

आदेश

(दिनांक 07/03/2016 को पारित एवं घोषित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार द्वारा पत्र क्रमांक 2149/कार्य/2016, धार दिनांक 16.06.2016 अनुसार म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा निम्नानुसार सिंचाई योजना स्वीकृत है। स्वीकृत योजनाओं में से निम्न योजनाओं में उसके नाम के सम्मुख वन भूमि (हैक्टेयर में) प्रभावित हो रही है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0	योजना का नाम	विकास खण्ड का नाम	प्रभावित रकबा	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	चुनार तालाब	सरदारपुर	95.387	चुनार, अम्बेडी एवं दुमाला तालाब योजना हेतु पूर्व में जबलपुर में भूमि चिन्हित की गई थी, परन्तु वह भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं होने से धार जिले में भूमि का चयन किया जाना है।
2	अम्बेडी तालाब	सरदारपुर	4.976	
3	दुमाला तालाब	बदनावर	12.380	
4	मानगढ़ तालाब	सरदारपुर	33.091	
5	कारम मध्यम परियोजना	धरमपुरी	119.250	
कुल रकबा			265.084	

2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र सरदारपुर द्वारा उप वन मण्डलाधिकारी सरदारपुर को संबोधित ज्ञापन क्रमांक 2359/रीडर-1/2015 दिनांक 12.08.2015 से भूमि बैंक अनुसार ग्राम सलवा/खाकरियाघाट में 381.493 हैक्टेयर, ग्राम जोलाना में 263.388 हैक्टेयर, ग्राम बोडिया में 236.245 हैक्टेयर, ग्राम देदला में 563.765 हैक्टेयर, ग्राम बोदली में 66.00 हैक्टेयर, तथा ग्राम लाबरिया में 101.951 हैक्टेयर शासकीय राजस्व भूमि उपलब्ध है। उक्त योजना से प्रभावित वन भूमि के बदले शासकीय राजस्व भूमि का राजस्व अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर हस्तांतरण हेतु निवेदन किया गया।

3. प्रकरण दर्ज किया जाकर, तहसीलदार सरदारपुर को आदेशिका दिनांक 16.06.2016 से जांच कर प्रतिवेदन सहित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया। तहसीलदार सरदारपुर द्वारा जांच कर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर के माध्यम से प्रेषित किया गया। दिनांक 30.08.2016 को कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र.1 धार एवं तहसीलदार सरदारपुर की संयुक्त बैठक में बताया गया कि ग्राम सलवा एवं उपलब्ध भूमि क्षेत्रफल 381.493 हेक्टर मजरे टोले निर्मित होने पर ग्राम सलवा एवं खाकरियाघाट में सम्मिलित हुई है। इस कारण ग्राम सलवा एवं खाकरियाघाट की प्रभावित होने वाली भूमि के खसरा क्रमांक क्षेत्रफल की योजना एवं तालिकावार जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। तहसीलदार द्वारा जल संसाधन एवं वन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त स्थल निरीक्षण कर मौका पंचनामा सहित प्रतिवेदन आदेशिका दिनांक 02.09.2016 से प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरदारपुर द्वारा आदेशिका दिनांक 03.09.2016 से आवेदित भूमि 265.084 हेक्टर वन विभाग को हस्तांतरित करने अनुशंसा की गई।

1- आवेदित भूमि की खसरा नक्शा ट्रेस की प्रति प्रकरण के संलग्न प्रकरण है।

कलेक्टर
जिला धार (म.प्र.)

2- हस्तांतरित की जाने वाली ग्राम सलवा/खाकरियाघाट की निम्न शासकीय भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है एवं भूमियों के वृक्षारोपण के उपयुक्तता के संबंध में उपवन मंडलाधिकारी वन मंडल सरदारपुर, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप खण्ड क्र.1 सरदारपुर उप खण्ड बदनावर, वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र सरदारपुर, राजस्व निरीक्षक वृत्त-1 बरमंडल तहसील सरदारपुर, सरपंच ग्राम पंचायत सलवा, हल्का पटवारी मौजा सलवा/खाकरियाघाट ग्राम कोटवार एवं ग्राम के स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया। उपर्युक्त पांचो योजनाओं में प्रभावित भूमि के बदले राजस्व विभाग की भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का पृथक-पृथक मौका पंचनामा दिनांक 06.07.2016 का तैयार किये गये। जो प्रकरण के संलग्न है। जिसमें वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण द्वारा वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होकर वन विभाग को हस्तांतरण के लिए सहमत होना बताया है।

3- म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के अन्तर्गत नोईयत परिवर्तन एवं भूमि आवंटन के संबंध में विज्ञप्ति जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की गई नियत समयावधि में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

4- आवेदित ग्राम खाकरियाघाट का शामिल जोत का रकबा 86.928 हैक्टेयर है, निस्तार चरनोई का क्षेत्रफल 65.232 हैक्टेयर है, उसके विरुद्ध चरनोई प्रयोजन के लिये 2 प्रतिशत क्षेत्रफल 1.738 हैक्टेयर सुरक्षित है। चरनोई क्षेत्रफल में से प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 12.680 हैक्टेयर है। ग्राम के खाकरियाघाट की चयनित भूमि आवंटित किये जाने पर चरनोई के लिये क्षेत्रफल 60.814 हैक्टेयर शेष रहेगा, जो दो प्रतिशत सुरक्षित चरनोई क्षेत्रफल अतिशेष है।

इसी प्रकार ग्राम सलवा का शामिल जोत का रकबा 605.269 हैक्टेयर है, निस्तार चरनोई का क्षेत्रफल 102.594 हैक्टेयर है, उसके विरुद्ध चरनोई प्रयोजन के लिये 2 प्रतिशत क्षेत्रफल 12.105 हैक्टेयर सुरक्षित है। चरनोई क्षेत्रफल में से प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 49.329 हैक्टेयर है। ग्राम के सलवा की चयनित भूमि आवंटित किये जाने पर चरनोई के लिये क्षेत्रफल 41.160 हैक्टेयर शेष रहेगा, जो दो प्रतिशत सुरक्षित चरनोई क्षेत्रफल अतिशेष है।

5- चयनित भूमि आवंटन के संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र 4 (2) की कंडिका 5 (1), (2), (3), (4) में उल्लेखित बिन्दु अनुसार जानकारी निम्नानुसार है।

(1) हस्तांतरित की जाने वाली भूमि किसी भी सामुदायिक प्रयोजन के लिये रक्षित नहीं है।

(2) राज्य शासन के अंतर्गत हस्तांतरित की जाने वाली भूमि किसी भी विशिष्ट प्रयोजन के लिये रक्षित नहीं है।

(3) वन विभाग को राजस्व विभाग को हस्तांतरित की जाने वाली भूमि देने से ग्रामवासियों की निस्तार संबंधी आवश्यकताओं का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है, तथा किसी भी प्रकार का विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) प्रस्तावित अंतरण से निस्तार भूमि के प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

6- चयनित स्थल का, स्थल निरीक्षण कर मय मौका पंचनामा, प्रतिवेदन प्रकरण के संलग्न है।

7- स्थल निरीक्षण प्रतिवेदनानुसार चयनित भूमि आवंटन किये जाने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक कठिनाई नहीं आना प्रतिवेदित किया है।

8- चयनित भूमि म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 में उल्लेखित प्रावधानों, नियमों के अन्तर्गत हस्तांतरित की जा सकती है। ग्राम सलवा एवं ग्राम खाकरियाघाट की शासकीय राजस्व भूमि, वन विभाग को हस्तांतरित करने हेतु खसरा नम्बर, रकबा आदि का विवरण तालिका अनुसार निम्नानुसार हस्तांतरित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है :-

2

-:: तालिका ::-

क्र0	योजना का नाम	प्रभावित रकबा	पुराना सर्वे क्रमांक (2014-15)	नवीन सर्वे क्रमांक (2015-16)	कुल रकबा (हैक्टर)	ग्राम का नाम	प्रस्तावित/वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित रकबा (हैक्टर)	मद
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	चुनार तालाब सरदारपुर	95.387	65 पैकि	76 पैकि	35.913	खाकरीया घाट	10.438	बडी
			129 पैकि	153 पैकि	38.788	खाकरीया घाट	37.500	बडी
			145 पैकि	169 पैकि	76.783	खाकरीया घाट	47.449	बडी
योग :-					151.484		95.387	
2	अम्बेडी तालाब सरदारपुर	4.976	65 पैकि	76 पैकि	25.475	खाकरीया घाट	4.976	बडी
योग :-					25.475		4.976	
3	दुमाला तालाब बदनावर	12.380	205/1 पैकि	65 पैकि	65.693	सलवा	6.958	चरनोई निस्तार
			218 पैकि	13 पैकि	22.576	सलवा	1.500	बडी
			700 पैकि	75 पैकि	20.695	सलवा	3.922	बडी
योग :-					108.964		12.380	
4	मानगढ़ तालाब सरदारपुर	33.091	205/1 पैकि	65 पैकि	58.735	सलवा	3.231	चरनोई निस्तार
			218 पैकि	13 पैकि	21.076	सलवा	10.276	बडी
			700 पैकि	75 पैकि	16.773	सलवा	4.964	बडी
			योग		96.854		18.471	
			271 पैकि	240 पैकि	21.500	खाकरीया घाट	1.940	बडी
			387 पैकि	378 पैकि	28.899	खाकरीया घाट	12.680	चरनोई निस्तार
योग					50.399		14.620	
महायोग :- (सलवा+खाकरीयाघाट)					146.983		33.091	
5	कारम	119.250	28	34	13.911	खाकरीया घाट	13.911	बडी

कलेक्टर
विभागाध्यक्ष (प.प.)

मध्यम परियोजना धरमपुरी	35 पैकि	41 पैकि	14.331	खाकरीया घाट	10.260	बर्डी	
	65 पैकि	76 पैकि	20.499	खाकरीया घाट	15.469	बर्डी	
	योग		48.741		39.640		
	162	19	0.136	सलवा	0.136	बीड चरनोई	
	173	26	0.669	सलवा	0.669	का.का.	
	174	27	0.136	सलवा	0.136	का.का.	
	175	28	0.251	सलवा	0.251	का.का.	
	176	29	0.313	सलवा	0.313	का.का.	
	177	30	0.136	सलवा	0.136	का.का.	
	178	31	0.094	सलवा	0.094	का.का.	
	179	32	0.031	सलवा	0.031	का.का.	
	180	33	0.042	सलवा	0.042	का.का.	
	184	37	0.157	सलवा	0.157	का.का.	
	185	38	0.073	सलवा	0.073	का.का.	
	186	46	0.136	सलवा	0.136	का.का.	
	191 पैकि	51 पैकि	41.810	सलवा	26.482	बर्डी	
	205 / 1 पैकि	65 पैकि	55.504	सलवा	39.004	चरनोई निस्तार	
	205 / 3 पैकि	66 पैकि	7.359	सलवा	6.359	का0का0	
	210	8	0.209	सलवा	0.209	का.का.	
	218 पैकि	13 पैकि	10.800	सलवा	3.177	बर्डी	
	701	76	1.463	सलवा	1.463	का.का.	
	702	77	0.230	सलवा	0.230	का.का.	
	703	78	0.261	सलवा	0.261	का.का.	
	704	79	0.251	सलवा	0.251	का.का.	
		योग		120.061		79.61	
	महायोग :- (खाकरीयाघाट+सलवा)			168.802		119.250	
	ग्राम, खाकरीयाघाट का कुल योग					154.623	
	ग्राम, सलवा का कुल योग					110.461	
	कुल आवंटन योग्य भूमि(ग्राम खकरीयाघाट+सलवा)					265.084	

5. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) सरदारपुर द्वारा आदेशिका दिनांक 03.09.2016 द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होकर ग्राम सलवा एवं ग्राम खाकरियाघाट तहसील सरदारपुर स्थित प्रश्नाधीन शासकीय भूमि क्षेत्रफल 265.084 हेक्टेयर म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 237 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई है।

6. वनमण्डलाधिकारी, वन मण्डल धार द्वारा ज्ञाप क्रमांक मा.चि./2016/3873-74 धार दिनांक 03.08.2016 से उक्त सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित होने वाली वन भूमि क्षेत्रफल 265.084 हेक्टेयर के समतुल्य राजस्व विभाग की शासकीय भूमि ग्राम सलवा (जो कि, नये मजरे, टोले के ग्राम बनाने पर ग्राम सलवा एवं ग्राम खाकरियाघाट) की शासकीय भूमि क्षेत्रफल 265.084 हेक्टेयर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना पाई जाकर, वन विभाग को उपलब्ध कराई जाती है, तो वन विभाग के कार्यालय को आपत्ति नहीं होने का अभिमत, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार को देते हुवे, प्रतिलिपि प्रेषित की गई है। साथ ही वन विभाग को आवंटित की जाने वाली प्रश्नाधीन भूमि को राजस्व अभिलेखों में लाल स्याही से अंकित करवाते हुऐ खसरावार, मानचित्र, आवश्यक प्रमाण-पत्र, तहसीलदार से प्राप्त करने व आवंटन आदेश उपरांत मौका स्थल पर शासकीय राजस्व भूमि का प्रभार वनपरिक्षेत्राधिकारी को सौंपने की कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु लेख किया है।

7. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 8073/रीडर/16 धार दिनांक 11.07.16 से जल संसाधन विभाग, जिला धार की प्रस्तावित/निर्माणाधीन सिंचाई योजनाओं से प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये अपर कलेक्टर, राजस्व जिला धार की अध्यक्षता में वनमण्डलाधिकारी, जिला धार, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, धार/मनावर, योजना से संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं जल संसाधन बदनावर/सरदारपुर/धामनोद/मनावर/कुक्षी/बाग जिला धार, अनुविभागीय अधिकारी (वन) धार/सरदारपुर, जिला धार की अंतर्विभागीय जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसकी बैठक दिनांक 23.08.2016 को आयोजित की गई। उक्त बैठक में (1) कार्यपालन यंत्री जल जल संसाधन क्र.1 धार (2) वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल धार (3) अपर कलेक्टर(राजस्व) जिला धार (4) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरदारपुर (5) अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपखण्ड सरदारपुर/धामनोद/बदनावर सम्मिलित हुवे, जिसमें आवेदित शासकीय राजस्व भूमि क्षेत्रफल 265.084 हेक्टेयर वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने की अनुशंसा की गई। दिनांक 30.08.2016 को अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें आवेदित भूमि 265.084 हेक्टेयर सलवा एवं उसके निर्मित मजरे टोले के ग्राम खाकरियाघाट के पुराने एवं नये सर्वे नम्बरवार तालिका के प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। तदनुसार प्रतिवेदन तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर द्वारा अनुशंसा आदेशिका दिनांक 02 एवं 03.09.16 सहित अपर कलेक्टर को प्रेषित किया गया। अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण पत्रिका का परीक्षण कर आदेशिका दिनांक 07.09.16 से आवेदित शासकीय भूमि वन विभाग द्वारा वन मंडलाधिकारी, जिला धार को हस्तांतरित करने की अनुशंसा की गई।

8. अतः तहसीलदार सरदारपुर के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर एवं अपर कलेक्टर, राजस्व जिला धार की अध्यक्षता में प्रस्तावित/निर्माणाधीन सिंचाई योजनाओं से प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये गठित अंतर्विभागीय जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा दिनांक 23.08.2016 के आधार पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (1) के अंतर्गत ग्राम खाकरियाघाट की भूमि खसरा क्रमांक (पुराना 387) नया 378 पैकी क्षेत्रफल 12.680 हेक्टर नोईयत चरनोई मे से तथा ग्राम सलवा की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक (पुराना 205/1) नया 65 पैकी क्षेत्रफल 49.193 हेक्टेयर, नोईयत निस्तार चरनोई में से तथा खसरा क्रमांक(पुराना 173) नया 26 क्षेत्रफल 0.669 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक(पुराना 174) नया 27 क्षेत्रफल 0.136 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक(पुराना 175) नया 28 क्षेत्रफल 0.251 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक (पुराना 176) नया 29 क्षेत्रफल 0.313 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक (पुराना 177) नया 30 क्षेत्रफल 0.136 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक (पुराना 178) नया 31 क्षेत्रफल 0.094 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक (पुराना 179) नया 32 क्षेत्रफल 0.031 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक (पुराना 180) नया 33 क्षेत्रफल 0.042

कलेक्टर
जिला धार (व.प्र.)

हैक्टेयर, खसरा क्रमांक (पुराना 184) नया 37 क्षेत्रफल 0.157 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक (पुराना 185) नया 38 क्षेत्रफल 0.073 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक (पुराना 186) नया 46 क्षेत्रफल 0.136 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक (पुराना 210) नया 8 क्षेत्रफल 0.209 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक (पुराना 701) नया 76 क्षेत्रफल 1.463 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक (पुराना 702) नया 77 क्षेत्रफल 0.230 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक (पुराना 703) नया 78 क्षेत्रफल 0.261 हैक्टेयर एवं खसरा क्रमांक (पुराना 704) नया 79 क्षेत्रफल 0.251 हैक्टेयर खसरा क्रमांक (पुराना 205/3) नया 66 पैकि क्षेत्रफल 6.359 हैक्टेयर की नोईयत काबिल कास्त में से एवं खसरा क्रमांक (पुराना 162) नया 19 क्षेत्रफल 0.136 हैक्टेयर नोईयत बीड़ चरनोई में से कम की जाकर, नोईयत पड़त कदीम घोषित की जाकर चुनार तालाब सरदारपुर हेतु तालिका के कालम क्रमांक 5 एवं 6 में उल्लेखित खसरा नम्बर पुराना व नया की संख्या 3 के कालम क्रमांक 8 के ग्राम खाकरियाघाट की कालम क्रमांक 9 में उल्लेखित भूमि क्षेत्रफल 95.387 हैक्टेयर, अम्बेड़ी तालाब सरदारपुर हेतु तालिका के कालम क्रमांक 5 एवं 6 में उल्लेखित खसरा नम्बर पुराना व नया की संख्या 1 के कालम क्रमांक 8 के अनुसार ग्राम खाकरियाघाट क्षेत्रफल 4.976 हैक्टेयर, मानगढ़ तालाब सरदारपुर हेतु तालिका के कालम क्रमांक 5 एवं 6 में उल्लेखित खसरा नम्बर पुराना व नया की संख्या 5 के कालम क्रमांक 8 के ग्राम सलवा का क्षेत्रफल 18.471 हैक्टर एवं ग्राम खाकरियाघाट के कुल सर्वे नम्बर संख्या 2 क्षेत्रफल 14.620 हेक्टर दोनो ग्रामों का कुल क्षेत्रफल 33.091 हैक्टेयर दुमाला तालाब बदनावर हेतु तालिका के कालम क्रमांक 5 एवं 6 में उल्लेखित खसरा नम्बर पुराना एवं नया संख्या 3 के कालम क्रमांक 8 के ग्राम सलवा की कालम क्रमांक 9 में उल्लेखित भूमि क्षेत्रफल 12.380 हैक्टेयर, एवं कारम मध्यम परियोजना धरमपुरी हेतु तालिका के कालम क्रमांक 5 एवं 6 में उल्लेखित खसरा संख्या 24 के कालम क्रमांक 8 के ग्राम खाकरियाघाट एवं सलवा की कालम क्रमांक 9 में उल्लेखित भूमि क्षेत्रफल 39.640 एवं ग्राम सलवा क्षेत्रफल 79.610 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 119.250 हेक्टर इस प्रकार ग्राम खाकरियाघाट की भूमि क्षेत्रफल 154.623 हैक्टेयर एवं ग्राम सलवा की भूमि क्षेत्रफल 110.461 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 29 क्षेत्रफल 265.084 हैक्टेयर की शासकीय राजस्व भूमि म.प्र. शासन वन विभाग द्वारा वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल, जिला धार को वृक्षारोपण हेतु म.प्र. राजस्व पुस्तक परिपत्र 4 (2) की कण्डिका 5 के अंतर्गत निम्न शर्तों तथा प्रतिबंधों के अधीन हस्तांतरित की जाती है :-

(1) तहसीलदार सरदारपुर उक्त भूमि का आधिपत्य वन मंडलाधिकारी, वन मंडल जिला धार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सौंपकर मौका पंचनामा, कब्जा रसीद, मूल अभिलेख में सुरक्षित रखे एवं राजस्व अभिलेख में तदनुसार संशोधन किया जाय।

(2) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 धार वन विभाग की चिन्हित स्थान की भूमि क्षेत्रफल 265.084 हैक्टेयर पर तालाब निर्माण आगामी 05 वर्षों में नहीं करते हैं तो प्रश्नाधीन भूमि वापस राजस्व विभाग की शासकीय भूमि घोषित कर राजस्व भू-अभिलेख में तदनुसार संशोधन किया जावेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)

कलेक्टर,

जिला-धार म.प्र.

पृ.क्र. 736 /रीडर-1/2016
प्रतिलिपि:-

धार, दिनांक 07/09/16

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन मंडलाधिकारी वन मंडल जिला धार।
5. अपर कलेक्टर (राजस्व) जिला धार की ओर सूचनार्थ।

6. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 धार की ओर उपरोक्त आदेशानुसार आगामी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही समयावधि में सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
7. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर/बदनावर/धरमपुरी-मनावर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. तहसीलदार, तहसील, सरदारपुर की ओर प्रकरण पत्रिका सहित उपरोक्तानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने व शासकीय भू-अभिलेख कागजात खसरा, नक्शा में अमल-दरामद करावें। मूल कब्जा रसीद खसरा नक्शा की एक-एक प्रति प्रकरण के संलग्न की जाकर प्रकरण अविलम्ब वापिस लौटावें।
9. तहसीलदार तहसील बदनावर/धरमपुरी जिला धार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्न:- प्रकरण क्रमांक 192/2015-16/अ-19(3)
अनु. 8 के लिये।


कलेक्टर,
जिला-धार म.प्र.

T/S - (1) Copy to all SDO
(1) keep in record of each scheme file.
12/3/16